



पत्रांक: रा0दू0मे0कॉ0/वि0अनु0/का0आ0/2019-20/2693

दिनांक 28 जून, 2019

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)2015 दिनांक 26 जून, 2019 के माध्यम से राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून में शैक्षिक सत्र 2019-20 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में वाण्ड की व्यस्था समाप्त कर दी गयी है। शैक्षिक सत्र 2019-20 में राजकीय दून मेडिकल कालेज देहरादून में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या 651/XXVIII(1)/2015/U.O-03/2008 दिनांक 20 मार्च, 2015 के द्वारा निम्नानुसार शिक्षण शुल्कों का निर्धारण किया गया है:-

क्र0स0	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू0 में
1	शिक्षण शुल्क	4,00,000 /- (चार लाख मात्र)
2	प्रवेश शुल्क	500 /-
3	छात्रावास शुल्क	6000 /-
4	कीड़ा शुल्क	5000 /-
5	विकास शुल्क	5000 /-
6	घरोहर शुल्क	10,000 /-
कुल योग		4,26,500 /-

- स्नातक पाठ्यक्रम एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा अन्तिम काउन्सिलिंग से पूर्व सीट छोड़े जाने पर उनके द्वारा जमा शुल्क में से रू0 9000 /- की कटौती कर वापस किया जायेगा।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉपट प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कालेज देहरादून के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।

प्राचार्य
राजकीय दून मेडिकल कालेज
देहरादून।

पत्रांक: रा0दू0मे0कॉ0/वि0अनु0/का0आ0/2019-20/2693 तददिनांक ।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107 चन्द्र नगर, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।
5. लेखा अनुभाग, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

प्राचार्य
राजकीय दून मेडिकल कालेज
देहरादून।